## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक.....C/4849...../ जबलपुर, दिनांक 10 / 10 / 2018

**प्रतिलिपि** :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ, इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर ग्वालियर(म.प्र.),
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश .....समस्त,
5. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. ओ.एस.डी.....(समस्त)
7. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / न्यायिक 1 एवं 2 / डी.ई / ई. / आई.एल. / कम–.पी.पी.एस. / इंस्पेक्शन एण्ड विजीलेंस / परीक्षा एवं लेबर जूडी. / सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
9. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.....समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. अनुभाग अधिकारी / इंचार्ज.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक / सतर्कता / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. रिफरेन्स लाइबेरियन, उच्च न्यायायल मध्यप्रदेश, जबलपुर
16. ग्रंथपाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
17. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
18. सहायक स्थापना / सेवा पुस्तिका / लेखा / वेतन पत्रक (राजपत्रित) / अवकाश (राजपत्रित) / अवकाश / वेतन पत्रक / वेतन निर्धारण / बजट / पेंशन / सी.पी.एफ, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :– **म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र दिनांक 31.08.2018, म.प्र. शासन, गृह(सी–अनुभाग) विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक24.07.2018 एवं परिशिष्ट–"अ" की प्रतिलिपि**

6.10.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

lladbho@mp.nic.in
फैक्स नं. 0755–2551185

फा.क्र. 21–ब(एक)/2018/3639, भोपाल, दिनांक 31/08/2018

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः–माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एस.एल.पी. (सिविल) 20525/2011 अवतार सिंह विरूद्ध भारत संघ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में चरित्र सत्यापन हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक 334/परीक्षा/2017 दिनांक 22.03.2018

———

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा चाहेनुसार गृह विभाग ने दिनांक 24.07.2018 को चरित्र सत्यापन के नए दिशा निर्देश जारी किये गये है जो सादर संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(गंगाचरण शर्मा) 30.8.18
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

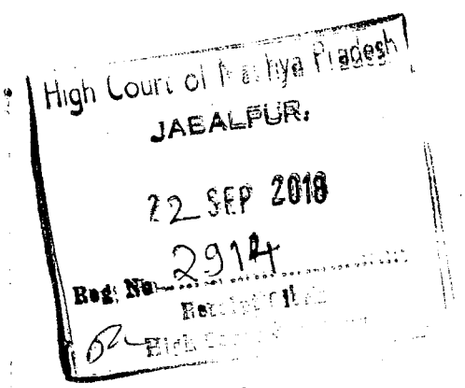

3639/21-का(विप्र)
3-8-18

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ.17–01/2017/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई,2018

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।

2. पुलिस महानिदेशक,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

3. समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
गुप्तवार्ता,चयन/भर्ती,अ0अ0वि0/प्रशासन,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

5. समस्त सम्भागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

6. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक,
मध्यप्रदेश।

7. समस्त जिलादण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

8. समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश ।

9. अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन ।
सामान्य प्रशासन विभाग ( स्थापना एवं अधीक्षक ),
मंत्रालय भोपाल ।

2571

विषय :– चरित्र सत्यापन के नए दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक 1142–5507–1–X/61–62 दिनांक 19 मार्च 1962, पत्र क्रमांक एफ 17–25/91/सी दिनांक 28.08.97 एवं पत्र क्र. एफ 17–55/2002/सी–1 दिनांक 05.09.2002 तथा पत्र क्रमांक एफ 17–74/2002/सी–1 दिनांक 05.03.2003 ।

------00------

शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पुलिस द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्रों के माध्यम से समय–समय पर शासन द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गए है ।

22175

अधिचव (स्थापना)

24/8/18
A.S. (स्था.)

2. चयनित होने पर अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि तथा अन्य विवरण ज्ञात करके शासकीय सेवा में उसकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने हेतु एक निर्धारित अनुप्रमाणन फार्म अभ्यर्थी से भरवाकर नियोक्ता द्वारा पुलिस विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुसार पुलिस विभाग को सत्यापन में पाए गए तथ्यों के आधार पर यह अभिमत देना होता है कि अभ्यर्थी शासकीय सेवा के लिये उपयुक्त है अथवा नही।

3. अनुप्रमाणन फार्म के प्रारभ में यह स्पष्ट चेतावनी अंकित होती है कि अभ्यर्थी इसके प्रत्येक स्तंभ की पूर्ण पूर्ति करते हुए इसमें वांछित तथ्यपरक जानकारी भरकर देगा अन्यथा उसकी सेवायें नियोक्ता द्वारा बिना सूचना पत्र दिये समाप्त की जा सकती है। अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य/भ्रामक पायी जाने पर नियोक्ता द्वारा उसे चयनित पद पर नियुक्ति से वंचित करने का लिया गया निर्णय अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होता है ।

4. पिछले कई वर्षो में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा अनुप्रमाणन फार्म में उसके विरूद्ध प्रचलित अथवा सम्पन्न हो चुकी न्यायालयीन कार्यवाही अथवा आपराधिक प्रकरण की जानकारी का उल्लेख नही किया जाता है अथवा असत्य जानकारी का उल्लेख किया जाता है। परन्तु पुलिस सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आने पर आवेदक द्वारा भूलवश अथवा अज्ञानतावश की गई गलती बताकर अनुकूल प्रतिवेदन हेतु प्रार्थना की जाती है।

5. अनुप्रमाणन फार्म में छिपाई गई जानकारी अथवा अस्पष्ट रूप से दी गई जानकारी को अनाशयित चूक/त्रुटि बताकर अनुकूल चरित्र सत्यापन के लिए निवेदन करने वाले आवेदकों के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाने के लिए शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को यह स्पष्ट निर्देश दिये गए है कि चरित्र सत्यापन हेतु नियोक्ता से प्राप्त होने वाले अनुप्रमाणन फार्म पुलिस विभाग द्वारा तभी स्वीकार किए जाए जब वे पूर्ण रूप से भरे हुए हो। अनुप्रमाणन फार्म अपूर्ण पाये जाने पर उन्हें तत्काल नियोक्ता को वापस लौटाकर पूर्ण फार्म ही नियोक्ता से प्राप्त करके सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ की जावे। इसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को यह बचाव प्राप्त नही हो सकेगा कि उसके द्वारा भूलवश अथवा अज्ञानतावश त्रुटि की गई है।

6. शासकीय सेवा के लिये चयनित अभ्यर्थियों द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु भरे गए अनुप्रमाणन फार्म में आपराधिक पृष्ठभूमि, न्यायालयीन प्रकरण तथा उसमें दोषमुक्ति या दोषसिद्धि की जानकारी जानबूझकर अथवा त्रुटिवश अथवा अज्ञानतावश छिपाये जाने से शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अर्जित होने वाली अर्हता के विषय पर समग्र रूप से विचार कर राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिए गए हैं :–

I– ऐसे प्रकरण जिसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण में नैतिक अधोपतन का आयाम शामिल है और उसे नैतिक अधोपतन की धारा में दंडित किया गया है और अभ्यर्थी ने इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया हो अथवा नही उसे शासकीय सेवा के लिए अयोग्य माना जावेगा।

a. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण में नैतिक अधोपतन का आयाम शामिल है और उसे नैतिक अधोपतन की धारा में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है । अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फॉर्म में किया गया हो अथवा नही, ऐसे प्रकरणों में अपराध की प्रकृति एवं दोषमुक्ति की अवस्था तथा अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि को देखते हुए, शासकीय सेवा के लिये योग्य/अयोग्य है के संबंध में नियोक्ता द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

c. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण साधारण किस्म का है, और न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को न्यायालय उठने तक की सजा या/और कुल अर्थदण्ड रूपये 2000/– तक, होने पर प्रकरण में अभ्यर्थी को शासकीय सेवा के लिये योग्य माना जावेगा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही ।

III- ऐसे प्रकरण जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किशोर अवस्था में कोई अपराध किया गया है और जिनका विचारण किशोर न्याय अधिनियम, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 / The Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत किशोर न्यायालय/ Juvenile Board में हुआ है, तो उसमें उसके विरूद्ध दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय को भी अभ्यर्थी की शासकीय सेवा हेतु अर्हता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नही माना जावेगा। इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही ।

IV- यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण को शासन द्वारा न्यायालय से प्रत्याहरण (Withdrawal) किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन् फार्म में किया गया हो अथवा नही, उसे शासकीय सेवा के लिए योग्य माना जावेगा।

V- केवल वाहन दुर्घटना एवं मोटरयान अधिनियम–1988 के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराधों में अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो और इसका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणन फॉर्म में किया गया हो अथवा नही, अभ्यर्थी की शासकीय सेवा हेतु अर्हता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नही माना जावेगा।

VI- ऐसे प्रकरण जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा खात्मा/खारिजी स्वीकृत की गई है, अथवा प्रकरण या एफ0आई0आर0 अपास्त (QUASH) की गई हो तो अभ्यर्थी को शासकीय सेवा के लिये योग्य माना जावेगा। इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही ।

VII- अभ्यर्थी के विरूद्ध परिवाद दायर होने की दशा में उसके विरूद्ध अपराध न मानते हुए उसे शासकीय सेवा के लिये योग्य माना जावेगा । किन्तु अभ्यर्थी के विरूद्ध परिवाद दायर होने की दशा में उस पर न्यायालय द्वारा आरोप विरचित होने पर वही मापदण्ड अपनायें जायेगें जैसा पुलिस प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने पर अपनाये जाते है ।

VIII- ऐसे प्रकरण जिसमें अभ्यर्थी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151,107,116(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है, एवं इसका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही उसे शासकीय सेवा के लिये योग्य माना जावेगा, यदि अभ्यर्थी को जिला बदर निर्णित किया गया हो या जिसके विरूद्ध राज्य शासन द्वारा एन0एस0ए0 (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्यवाही की गई हो उसे शासकीय सेवा के लिये अयोग्य माना जावेगा।

IX- केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्य में चयनित अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें नैतिक अधोपतन का आयाम सम्मिलित हो या नही तथा इसका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही। नियोक्ता को तथ्यों से अवगत कराते हुए प्रकरण में स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु, संबंधित जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जावेगा।

पुलिस विभाग में चयनित अभ्यर्थी के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा योग्य/अयोग्य है के संबंध में निर्णय लिया जाकर अभिमत दिया जावेगा ।

इसी प्रकार न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थी के प्रकरण में मान. मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा उच्च न्यायालय स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा अभ्यर्थी न्यायिक सेवा के लिये योग्य/अयोग्य है के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जावेगा ।

b. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण, अनुसधान/विचारण की स्थिति में लंबित है और आक्षेप नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आते है तथा अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में नही किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छिपाया गया मानकर शासकीय सेवा के अयोग्य अभिमत दिया जावेगा।

c. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण, अनुसंधान/विचारण की स्थिति में लंबित है और आक्षेप नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आते है। अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया गया है, तो नियोक्ता को न्यायालय निर्णय पश्चात् अभिमत दिये जाने हेतु सूचित किया जावेगा।

d. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और आक्षेप नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आते है, किन्तु न्यायालय द्वारा नैतिक अधोपतन की धाराओं पर विचारण नही किया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों को साधारण अपराध की श्रेणी का मानकर वही मापदण्ड अपनायें जावेगें ।

e. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध एक से अधिक नैतिक अधोपतन के अपराध है, जिनमें उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। ऐसे प्रकरण में अपराध की प्रकृति एवं दोषमुक्ति की अवस्था तथा अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि को देखते हुए, अभ्यर्थी शासकीय सेवा के लिये योग्य/अयोग्य है के संबंध में अभिमत दिया जावेगा ।

II- यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण साधारण किस्म का है और न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फॉर्म में किया गया हो अथवा नही, ऐसे प्रकरण में विवेक का उपयोग कर, अभ्यर्थी शासकीय सेवा के लिये योग्य/अयोग्य है के संबंध में अभिमत दिया जावेगा।

a. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण साधारण किस्म का है और न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन् फार्म में किया गया हो अथवा नही, उसे शासकीय सेवा के लिए योग्य माना जावेगा।

b. यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण, अनुसंधान/विचारण की स्थिति में लंबित है और प्रकरण में नैतिक अधोपतन की धारा शामिल नही है तथा अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में किया गया हो अथवा नही ऐसे प्रकरण की प्रकृति एवं अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि को देखते हुए सशर्त नियुक्ति, दी जा सकती है। (Appointment to the Candidate may be given subject to final Decision/ Outcome of the matter)।

7— यदि कोई अभ्यार्थी विदेश में शिक्षारत/निवासरत रहा है, तो नियोक्ता द्वारा अभ्यार्थी से उपरोक्त अवधि के चरित्र सत्यापन हेतु एक शपथ—पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके विरूद्ध इस दौरान कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है और उसके द्वारा किसी तथ्य को जानबूझकर नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विपरीत तथ्य संज्ञान में नहीं आता है, तो अभ्यार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ—पत्र के आधार पर शासकीय सेवा के योग्य माना जावेगा। भविष्य में अगर कोई प्रतिकूल त थ प्रकाश में आते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8— भविष्य में चरित्र सत्यापन के प्रकरणों का निराकरण उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा कराया जावेगा। राज्य शासन के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के प्रकरण में नियोक्ता द्वारा अभ्यर्थी से निर्धारित अनुप्रमाणन फार्म भरवाया जाकर, अभ्यर्थी के निवासरत/शिक्षारत जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षकों को भेजा जावेगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच उपरान्त प्रतिवेदन सीधे ही पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय भोपाल को प्रेषित किए जावेगें, परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रकरण जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से भेजे जावेगें। अनुप्रमाणन फार्म की पूर्ति अथवा रिक्तता के विवादस्पद प्रकरणों में पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल उपरोक्तानुसार स्वयं अपने स्तर पर निर्णय लेंगे।

9— शासन द्वारा जारी अधिसूचना वर्ष—1962 में जहां कहीं भी उप पुलिस महानिरीक्षक म0प्र0 रेल एण्ड क्राईम उल्लेखित है, उसके स्थान पर पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, म.प्र.भोपाल प्रतिस्थापित किया जावे।

10— नैतिक अद्योपतन की श्रेणी में आने वाले अपराधों संबंधी विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

उपरोक्त नियमों के जारी होने के दिनांक से इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 05.06.2003 के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों को निरस्त माना जावेगा।

संलग्न :— यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विवेक शर्मा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.कमांक एफ.17–01/2017/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 24 जुलाई,2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, म0प्र0शासन, भोपाल।
3. माननीय गृह मंत्री जी के निज सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.विधानसभा भोपाल।
5. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
6. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

24/07/18

(विवेक शर्मा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

परिशिष्ट--"अ"

## नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराधों का विवरण।

(अ) भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध :-

1/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 5 (क)
आपराधिक षडयंत्र -- धारा 120--बी

2/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 6
राज्य के विरूद्ध अपराध -- धारा 121 से 130

3/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 7
सशस्त्र सेनाओं से संबंधी अपराध -- धारा 131 से 134

4/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 8
सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था से संबंधित अपराध --
धारा 148 एवं 149,153--क एवं ख

5/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 11
झूठी साक्ष्य गढने तथा सार्वजनिक न्याय के विरूद्ध किए गए अपराध --
धारा 193 से 216--ए

6/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 12
शासकीय सिक्कों एवं मुद्रा से संबंधित अपराध --
धारा 231 से 263--क

7/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 15
धर्म से संबंधित अपराध -- धारा 295 से 297

8/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 16
मानव शरीर से संबंधित अपराध --
धारा 302 से 304,304--बी,305,306,307,308,311,312,313,314,315,316,317,326,327,328, 329,330,331,332,333,335,347,348,353,354,354--ए,354--बी,354--सी, 354--डी, 363 से 373,376,376--ए,376 (एबी),376--बी,376--सी,376--डी,376(डीए),376(डीबी) ,376--ई,377

9/ सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध --
धारा 379 से 426,428 से 446, 449,450,452 से 462

10/ भारतीय दण्ड विधान का अध्याय -- 17
अभिलेखों एवं सम्पत्ति चिन्हों संबंधी अपराध -- धारा 465 से 489

## (ब) विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराध :--

1. अनूसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम – 1989
2. एन.डी.पी.एस. एक्ट – 1985
3. आयुध अधिनियम – 1959 की धारा 25,27
4. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1955 के अंतर्गत घटित अपराध
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम – 1955 के अंतर्गत अपराध
6. आफिशियल सीक्रेट एक्ट – 1923 के अंतर्गत अपराध
7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – 1988,
8. लैंगिग अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम -- 2012
9. सार्वजनिक द्युत अधिनियम -- 1868 की धारा 3 / 4
10. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम -- 2004
11. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम – 1984
12. विधि विरुद्ध कियाकलाप अधिनियम – 1967
13. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 49–ए
14. विस्फोटक अधिनियम -- [illegible]
15. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम -- [illegible]
16. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम – 2000
17. खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम – 1954
18. आतंकवादी निरोध अधिनियम – 2002
19. दहेज प्रतिषेध अधिनियम -- [illegible] के अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध ।
20. अनैतिक व्यापार अधिनियम --1956
21. ऐसे समस्त अपराध जिनमें DISHONEST INTENTION संबंधी तथ्य पाए जाते है ।
22. ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है ।
23. ऐसे अपराध जो उपरोक्त अपराधों को कारित करने के लिए दुष्प्रेरण तथा षडयंत्र की श्रेणी में आते है ।

--------00--------